**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 566**

**जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है**

**कोल बेड मीथेन का अन्वेषण**

**566. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक स्तर पर कोयले के पांचवें सबसे बड़े भंडार के साथ, भारत में बारह से अधिक राज्यों में कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कोल बेड मीथेन के दोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कोल बेड मीथेन नीति, 1997 के 2018 के ढांचे के अंतर्गत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और विकास के आरंभ के बाद इस उद्योग का भविष्य क्या है?

**उत्तर**

**कोयला और खान राज्य मंत्री**

**(श्री सतीश चन्द्र दुबे)**

**(क)** : भारत, विश्व में पांचवें सबसे बड़े कोयला संसाधनों के साथ, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और उत्पादन महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। देश के आकलित सीबीएम संसाधनों का अनुमान लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) है, और ये संसाधन भारत के 12 राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) में फैले हुए हैं। वर्तमान में, पूरे भारत में सीबीएम के निष्कर्षण के लिए चौदह (14) सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं।

**(ख)** : सरकार ने अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन स्रोतों सहित कोल बेड मीथेन (सीबीएम) को बढ़ावा देने और दोहन करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

**1. नीतिगत सुधार:** सीबीएम विकास को बढ़ावा देने के लिए सीबीएम नीति, 1997 को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत कोयला मंत्रालय (एमओसी) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के बीच संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नीति के अनुसार, एमओपीएनजी प्रशासनिक मंत्रालय बन गया, और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडल एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया। कोयला मंत्रालय के परामर्श से कोयला धारित क्षेत्रों में सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की गई और उनकी पेशकश की गई।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने मौजूदा उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) अनुबंधों और नामांकन क्षेत्रों के तहत मौजूदा रकबे में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए एक नीतिगत ढांचे को अधिसूचित किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 में भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारित क्षेत्रों के लिए अन्वेषण और दोहन अधिकार देने के लिए समेकित नियम और शर्तों को अधिसूचित किया, जिसके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टा है।

**2. सीबीएम बोली दौर:** सरकार ने अब तक छह प्रतिस्पर्धी सीबीएम बोली दौर आयोजित किए हैं, जिनमें 40 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। अब तक, 14 सीबीएम ब्लॉक अन्वेषण, विकास या उत्पादन चरणों के तहत सक्रिय हैं। इसके अलावा, खुली रकबा लाइसेंसिंग नीति (पीएएलपी) के दायरे में दो विशेष सीबीएम बोली दौर, एससीबीएम-2025 और एससीबीएम-2026 प्रगति पर हैं।

**3. अवसंरचना सुदृढ़ीकरण:** सीबीएम ब्लॉकों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड (ऊर्जा गंगा पाइपलाइन) से जोड़ा जा रहा है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में सीबीएम गैस के निर्बाध परिवहन को सक्षम करके दीर्घकालिक ऑफटेक मुद्दों का समाधान किया है।

इन प्रयासों के साथ, सीबीएम विकास के लिए सीबीएम ब्लॉकों में लगभग 1,232 कुओं की खुदाई की गई है, और देश वर्तमान में लगभग 2.28 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) का सीबीएम उत्पादन स्तर प्राप्त कर रहा है।

**(ग)**: सरकार ने दिनांक 08.05.2018 की अधिसूचना के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों से सीबीएम का पता लगाने और उत्पादन करने का अधिकार प्रदान किया, जहां उनके पास खनन पट्टे हैं। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां सीबीएम अन्वेषण और उत्पादन के लिए अपने पट्टाधृत क्षेत्रों के तहत कोयला-धारक क्षेत्रों की भी पहचान करती हैं।

*****